पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0 / HRMS-05/2023, सो0–..1106

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट, अपील एवं कल्याण),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक–..11/04/2023

विषयः– HRMS पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरित कर्मियों का यात्रा भत्ता निकासी हेतु पूर्व कार्यालय में प्रावधान किये जाने के सम्बंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि HRMS पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरित कर्मियों का यात्रा भत्ता का विपत्र नहीं बनने से आ रही समस्या के निराकरण हेतु पूर्व पदस्थापन कार्यालय में नाम प्रदर्शित कर विपत्र बनाने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध पुलिस संगठन के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हो रहे थे। इस सम्बंध में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है। तदनुसार यात्रा भत्ता का भुगतान कर्मी को वर्तमान पदस्थापन के कार्यालय से होना है। पूर्व कार्यालय में यदि कोई यात्रा भत्ता बकाया हो तो स्थानांतरण होने की स्थिति में LPC में इसका उल्लेख कर LPC के साथ बकाये यात्रा भत्ता का स्वीकृत्यादेश भी संलग्न कर नये पदस्थापन स्थल में भेजा जाना चाहिए, ताकि स्थानांतरण के उपरान्त पदस्थापन कार्यालय द्वारा भुगतान किया जा सके।

उपर्युक्त मन्तव्य के आलोक में अनुरोध है कि HRMS पोर्टल के माध्यम से संगठन कर्मियों का यात्रा भत्ता निकासी की कार्रवाई करने का निदेश सभी अधीनस्थ कार्यालयों को देने की कृपा की जाय। साथ हीं बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के तहत यह भी सुसंगत होगा कि यात्रा–भत्ता विपत्र जाँचोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर भी भेजा जाय।

विश्वासभाजन,

11.4.23

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :– बि०प्र०सु०मि०सो० / HRMS–05 / 2023, सो०..1106.. **दिनांक–**..11/04/2023

प्रतिलिपिः– गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृप्या सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र बल को कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.4.23

विशेष कार्य पदाधिकारी।